न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 46/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 शाकिर हुसैन छिंपा पुत्र अब्दुल जब्बार छिंपा निवासी नया तेलीवाडा नागौर। मैसर्सः– अब्दुल जब्बार छिंपा, नया तेलीवाडा नागौर। 2 अशोक कुमार जैन पुत्र डूंगर मल जैन निवासी दिगंमर जैन स्कूल के सामने, बाजारवाडा के पास, कमला कुंज, खडा की गली, नागौर। मैसर्सः– सरावगी ट्रेडर्स, पुरानी धान मण्डी, नागौर। 3 आशीष अग्रवाल पुत्र मोहन अग्रवाल निवासी नपदीप ए.के.टाइल्स फैक्ट्री, डागा क्वॉर्टर, रानी बाजार, बीकानेर। मैसर्सः– मोहन लाल आशीष कुमार, कोयला गली, अलख सागर रोड बीकानेर।

आदेश

दिनांक : 04.07.2025

1. शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान–सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 5-04-2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

2(1). आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.10.2023 को समय 04:00 पी.एम. पर मैसर्स अब्दुल जब्बार छिंपा, नया तेलीवाडा, नागौर पर पहुंचा, वहां पर श्री शाकिर हुसैन छिंपा पुत्र श्री अब्दुल जब्बार छिंपा मिले, श्री शाकिर हुसैन छिंपा को अपना परिचय दिया एवं परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री शाकिर हुसैन छिंपा ने स्वयं को मैसर्स अब्दुल जब्बार छिंपा, नया तेलीवाडा, नागौर का खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया।

2(2). आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध Ghee (Shweta) एक लकडी की रेंक पर 1–1 लीटर के 16 गत्ता पैक पैकेट रखे है कि अमानक का शक होने पर 1–1 लीटर के 4 गत्ता पैकेट को खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री शाकिर हुसैन छिंपा को सूचित करते हुए वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत श्री शाकिर हुसैन को 1960/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

2(3). आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री शाकिर हुसैन छिंपा एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं आवेदक स्वंय ने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री शाकिर हुसैन छिंपा को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

04/7/25

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

2(4) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा Ghee (Shweta) 1–1 लीटर के गत्ता पैकेटों खाली गत्तों में रखकर उन पर लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबलों पर डी.ओ. नागौर के कोड एवं क्रमांक क्यू 2637 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. नागौर की हस्ताक्षरसुदा पेपर स्लिप नम्बर क्यू 2637 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

2(5) मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री शाकिर हुसैन छिंपा एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

2(6)आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस मे खाद्य विशलेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म संख्या 6 की एक प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के के आउटर कवर में सील बंद कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

2(7) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकरी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के अभिहित अधिकारी का पत्र क्रमांक चिकि/एफएसएसए/जा.रि./2023/5583 दिनांक 10.11.23 एवं जांच रिपोर्ट संख्या L.S./1566/act/2023/1603 दिनांक 31.10.23 की मूल प्रति के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Ghee (Shweta) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण शाकिर हुसैन छिंपा पुत्र अब्दुल जब्बार छिंपा निवासी नया तेलीवाडा नागौर, अशोक कुमार जैन पुत्र डूंगर मल जैन निवासी दिगंबर जैन स्कूल के सामने, बाजारवाडा के पास, कमला कुंज, खडा की गली, नागौर तथा आशीष अग्रवाल पुत्र मोहन अग्रवाल निवासी नपदीप ए.के.टाइल्स फैक्ट्री, डागा क्वॅार्टर, रानी बाजार, बीकानेर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 19-09-24 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से हरिप्रसाद सांचौरा, अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से श्री श्याम कुलरिया अधिवक्ता ने वकालतनामे पेश किये। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थीगण केवल विक्रेता है निर्माता नहीं है उसके विरूद्व आवेदन गलत पेश किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कथित सैम्पल लेते समय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम एवं उससे संगत नियम एवं विनियमों का पूर्णतः पालन नहीं किया है खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चौथे सैम्पल को खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला में भेजे जाने के अधिकार के बारे में अवगत नहीं करवाया और न ही इस तरह का कोई तथ्य फार्म –5 पर उल्लेखित किया है। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रस्तुत खाद्य उत्पाद की विश्लेषक रिपोर्ट में जो पेरामीटर व परिणाम दर्शाये गये है वे तमाम पेरामीटर खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के अनुकूल है। फिर भी खाद्य विश्लेषक ने जानबूझ कर अप्रार्थीगण के कथित उत्पाद को अवमानक स्तर का घोषित करने में कानूनी भूल की है जिसका विधि की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है इसलिए प्रार्थी के आवेदन को खारिज कर अप्रार्थीगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1566/एक्ट /2023/1603 दिनांक 31.10.23 के अनुसार Ghee (Shweta) का नमूना Substandard पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया गया है। अप्रार्थीगण को शास्ति से दण्डित किया जाना चाहिए।

04/7/25

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

5. उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1566/एक्ट /2023/1603 दिनांक 31.10.23 के अनुसार Ghee (Shweta) का नमूना Substandard पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने Substandard Ghee (Shweta) का विक्रय किया जिसके लिए वो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के लिए दोषी पाए जाते है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 खाद्य कारोबारकर्ता शाकिर हुसैन छिंपा पुत्र अब्दुल जब्बार छिंपा निवासी नया तेलीवाडा नागौर पर 1,50,000/— अक्षरे एक लाख पच्चास हजार रूपये, अप्रार्थी सं. 2 अशोक कुमार जैन पुत्र डूंगर मल जैन निवासी दिगंबर जैन स्कूल के सामने, बाजारवाडा के पास पर 1,50,000/— अक्षरे एक लाख पच्चास हजार रूपये, अप्रार्थी सं. 3 आशीष अग्रवाल पुत्र मोहन अग्रवाल निवासी नपदीप ए.के.टाइल्स फैक्ट्री, डागा क्वॉर्टर, रानी बाजार, बीकानेर पर 1,50,000/— अक्षरे एक लाख पच्चास हजार रूपये, कुल 4,50,000/— अक्षरे चार लाख पच्चास हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगें।

6. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/7/24

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)